न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) जयपुर महानगर, द्वितीय

पीठासीन अधिकारी :— आशुतोष कुमावत,
(राज.न्या.सेवा) (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन विचारण प्रकरण संख्या :— 60/2023

सी.आई.एस. संख्या :— 206/2023

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर महानगर, द्वितीय।

अभियोगी

बनाम

अमन खेमलानी पुत्र श्री मनोज खेमलानी, निवासी—मकान नं. 86, सिन्धु नगर, कटरा चांद खॉ, जगतपुर, पुलिस थाना बारदरी, बरेली, उत्तरप्रदेश।

अभियुक्त

<u>अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 506 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थिति :—

1. राज. राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक।
2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गौड एवं श्री देवेन्द्र गौड।

अपराध की दिनांक	जून, 2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/दिनांक/पुलिस थाना	216/21 दिनांक 08.04.2021, पुलिस थाना आमेर, जयपुर।
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	28.02.2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	28.06.2023
साक्ष्य शुरू करने की दिनांक	12.02.2024
बयान—मुलजिम लेखबद्ध किये जाने की दिनांक	03.09.2025
दिनांक, जिस दिन से निर्णय रिजर्व रखा गया	17.09.2025
निर्णय की दिनांक	18.09.2025

सजा आदेश की दिनांक, यदि कोई हो तो							
क. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर आजाद होने की दिनांक	अपराध जिनका आरोप लगाया गया है	चाहे बरी कर दिया गया हो या दोषी ठहराया गया हो	सुनाई गई सजा	धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान हिरासत में ली गई अवधि
1.	अमन खेमलानी	02.05. 2023	02.06. 2023	376(2)(एन), 506 भारतीय दण्ड संहिता	बरी	—	02.05.2023 से दिनांक 02.06.2023 तक

::<u>निर्णय</u>:: **दिनांकः.18.09.2025**

1. उक्त प्रकरण धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है, इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए और पीडिता को उक्त अपराध के सामाजिक शिकार से रोकने के लिए एवं सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत State of Karnataka Vs. Puttaraja S.C. Appeal Criminal No. 506/1997, Date of Judgment 27-11-2003 में पारित किये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार अभियोक्त्री/पीड़िता को स्वयं के नाम से सम्बोधित नहीं किया जा रहा है बल्कि उसके स्थान पर पीडिता के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय B.S.Hari Commdt. v/s Union of India (2023 Live Law (sc) 303;2023 Supreme(sc) 359) के अनुक्रम में 'विषय सूची—निर्णय' मय पृष्ठ संख्या निम्नानुसार है :—

S.No.	Subject	Page/s
1	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य	2 से 4
2	प्रकरण में की गई कार्यवाही	4 से 7
3	अवधारणीय बिन्दू	7 से 7
4	पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य	7 से 18
5	पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्क	18 से 19
6	अवधारणीय बिन्दूओं पर न्यायालय का विनिश्चय	19 से 27
7	निष्कर्ष	27 से 27
8	आदेश	27 से 28

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पीड़िता द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना आमेर, जयपुर के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की दर्ज करवाई कि उसका विवाह जनवरी 2015 में कमलेश के साथ सम्पन्न हुआ था, विवाह के पश्चात् उसका पति आये दिन दहेज की मांग एवं गाली–गलौच करता था जिससे परेशान होकर वह वर्ष 2018 से अपनी बडी बहिन मीना जो कि बरेली उत्तरप्रदेश में रहती है, के यहॉ रहने लग गई। उसकी बडी बहिन की ननद का लडका अमन उसकी बहिन के घर आता–जाता था, से उसकी मुलाकात हुई और धीरे–धीरे अमन से उसकी बातचीत होने लगी और वह बातचीत करने के लिये मना करती तो वह कहता कि जिस वजह से तुम परेशान हो वह उस समस्या का समाधान कर सकता है। कुछ समय पश्चात् जब वह जयपुर अपने पीहर उपरोक्त वर्णित पते पर आई तो वहॉ भी अमन उसे रोज फोन करके परेशान करता और पीडिता की समस्याओं का समाधान करने के लिये कहता और पीडिता से दूसरा विवाह करने के लिये कहता। जब पीडिता ने उसे शादीशुदा होने व तलाक ना होने की बात बताई तो उसने कहा कि वह सब बातों को निपटा लेगा। अभियुक्त ने उसे अपनी चिकनी–चुपडी बातों में फंसा लिया।

जनवरी 2019 में जब वह अपने परिवार के साथ नैनिताल घूमने गई तो अमन भी नैनिताल आ गया, अभियुक्त ने वहॉ उसे एक होटल में बुलाया और शादी करने का विश्वास दिलाया तथा पीडिता की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी बिना अनुमति व सहमति के पीडिता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाये। इसके पश्चात् आये दिन उसे फोन करता और जल्द से जल्द शादी करने के लिये कहता तथा दबाव डाल कर बरेली बुलाता तथा कभी जयपुर आकर उसके साथ उसकी बिना अनुमति व सहमति के जबरन शारीरिक संबंध बनाता और जब वह अमन से शादी करने के लिये कहती तो अमन शादी करने का आश्वासन देकर टाल देता था।

दिनांक 13.02.2020 को अमन ने उस पर दबाव डालकर उसे बरेली बुलाया और उसे होटल में ले गया और वहॉ उसे अकेला छोडकर चला गया और वापिस आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिये जबरदस्ती करने लगा और विरोध करने पर अमन ने अपने माता–पिता को जल्द ही

विवाह करने के लिये मना लेने का आश्वासन दिया।

इसके पश्चात् अमन जयपुर आया तथा उसे आमेर स्थित होटल में लेकर गया जहॉ उसे वह अकेला छोडकर चला गया तथा कुछ देर बाद वापिस आया तथा स्वयं के साथ नाश्ता लेकर आया तथा आते ही नाश्ता खाने को दिया, जिसको खाने के बाद वह बेहोश हो गई और होश आने पर उसके शरीर पर एक कपडा भी नहीं मिला, अमन भी निवस्त्र बैठा था। पीडिता के विरोध करने पर अभियुक्त ने कहा कि उसने पीडिता के फोटोग्राफ खीच लिये है यदि पीडिता ने शारीरिक संबंध बनाने से रोका तो वह उसके फोटोग्राफ और वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर देगा। कुछ समय पश्चात् जब उसने यह बात अपनी माता व बहनों को बताई तो उन्होंने बरेली उसकी बडी बहिन व परिवार वालों से बात की जिस पर उन लोगों ने उसे बरेली उत्तरप्रदेश बुलाया और कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ आदि आदि

प्रकरण में की गई कार्यवाही :-

4. उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना आमेर, जयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 216/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 376, 506 भा.द.सं. में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

5. बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 28.02.2022 को अभियुक्त अमन खेमलानी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 376(2)(एन), 506 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो कि उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

6. बहस चार्ज सुनी गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 506 भा.द.सं. के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धारा में आरोप विरचित कर अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

7. अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित गवाहान/दस्तावेजात पेश कर आरोपित अपराध बाबत् अभियोग प्रस्तुत कियाः–

क्र.सं.	साक्षी संख्या	परीक्षा की तिथि	साक्षी का विवरण	साक्ष्य का प्रकार
01.	पी.ड.—01	12.02.2024	पीडिता	स्वयं पीडिता
02.	पी.ड.—02	30.04.2024	सुलोचना अनुसंधान साक्षी	तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 की साक्षी
03.	पी.ड.—03	24.07.2024	डॉ.शालिनी गुप्ता चिकित्सक	पीडिता का बलात्संग संबंधी चिकित्सकीय परीक्षण करने वाला गवाह
04.	पी.ड.—04	24.07.2024	नरेन्द्र देवजानी महत्वपूर्ण साक्षी	पीडिता की छोटी बहिन का पति
05.	पी.ड.—05	05.08.2024	रेखा महत्वपूर्ण साक्षी	पीडिता की बडी बहिन
06	पी.ड.—06	05.08.2024	सुशीला महत्वपूर्ण साक्षी	पीडिता की माता
7	पी.ड.—07	25.09.2024	दुर्गाप्रसाद अनुसंधान साक्षी	एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी—8 का गवाह
8	पी.ड.—08	26.09.2024	दीपक बलवदा अनुसंधान साक्षी	प्रदर्श पी—9 से प्रदर्श पी—13
9	पी.ड.—09	18.12.2024	शिवनारायण अनुसंधान साक्षी	अनुसंधान अधिकारी
10	पी.ड.—10	07.04.2025	महेन्द्र सिंह, अनुसंधान साक्षी	फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—19 का गवाह
11	पी.ड.—11	08.04.2025	डॉ.आशीष सक्सेना चिकित्सक	अभियुक्त का पुरूषत्व संबंधी चिकित्सकीय परीक्षण करने वाला गवाह
12	पीड—12	08.04.2025	अशोक कुमार अनुसंधान साक्षी	एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी—21 का गवाह
13	पीड—13	08.04.2025	जगदीश नारायण अनुसंधान साक्षी	नक्शा मौका प्रदर्श पी—22 का गवाह
14	पीड—13	25.04.2025	सत्यवीर अनुसंधान साक्षी	तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी—22 का गवाह
15	पीड—14	25.04.2025	सुनील चौहान	प्रदर्श पी—23 / 24 / 24ए का गवाह

			अनुसंधान साक्षी	
16	पीड–15	15.05.2025	नन्दलाल नेहरा अनुसंधान साक्षी	प्रदर्श पी–19, 21, 22 एवं 24 का गवाह

8. तथा अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श
1	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–2
3	फर्द पेशीदगी एवं जब्ती लेडिज अण्डरवियर	प्रदर्श पी–3
4	नक्शा–मौका	प्रदर्श पी–4
5	पीडिता की बलात्संग संबंधी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–5
6	धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान	प्रदर्श पी–6
7	सम्मन	प्रदर्श पी–7
8	एफएसएल प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–8
9	धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र	प्रदर्श पी–9
10	मो.नं. 7300721452 का कैफ फार्म मय दस्तावेज	प्रदर्श पी–10
11	मो.नं. 7300721452 की सीडीआर	प्रदर्श पी–11
12	मो.नं. 8107652233 का कैफ फॉर्म	प्रदर्श पी–12
13	मो.नं. 8107652233 की सीडीआर	प्रदर्श पी–13
14	अभियुक्त का लुक आउट सर्कुलर जारी करने के संबंध में पत्र	प्रदर्श पी–17
15	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–18
16	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–19
17	अभियुक्त की पुरूषत्व संबंधी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–20

18	एफएसएल प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी–21
19	तस्दीक नक्शा मौका	प्रदर्श पी–22
20	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–24ए

9. अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और अभियुक्त ने मौखिक साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस बयान पीडिता प्रदर्श डी–1, पीडिता का शपथ–पत्र प्रदर्श डी–1 एवं डी–3, पीडिता एवं अभियुक्त के फोटोग्राफ प्रदर्श डी–16 प्रदर्शित करवाये।

अवधारणीय बिन्दू :–

10. उभय पक्ष की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11. न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(ए) क्या अभियुक्त ने जनवरी 2019 में किसी दिन किसी समय होटल आर.जी.पैलेस, आमेर में पीडिता के साथ विवाह करने का आश्वासन देकर पीडिता की स्वतंत्र सहमति एवं इच्छा के बिना उससे जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्कार किया एवं तत्पश्चात् भी कई बार पीडिता को डरा–धमकाकर विभिन्न दिनांकों, समय और स्थान पर पीडिता की स्वतंत्र सहमति व उसकी इच्छा के बिना उससे जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग के अपराध की पुनरावृत्ति की?

(बी) क्या अभियुक्त ने उपरोक्त दिनांक, समय और स्थान पीडिता के साथ बलात्कार करने के दौरान बनाई गई उसकी आपत्तिजनक वीडियो व फोटो को वायरल करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया?

(सी) यदि हॉ तो उचित दण्ड क्या होगा?

पत्रावली पर आई साक्ष्य :–

12. उपरोक्तानुसार वर्णित आरोप के सन्दर्भ में पत्रावली पर अभियोजन की

साक्ष्य निम्न हैः–

महत्वपूर्ण साक्षीगण :–

13. प्रकरण की पीड़िता पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसकी शादी दिनांक 11.01.2015 को कमलेश के साथ हुई थी। उसके पति दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे और शराब भी पीते थे। दिसम्बर 2015 में उसके बेटी हुई थी फिर वह उसकी प्रेग्नेंसी के बाद वह परेशान होकर उसकी मम्मी के पास आ गई थी, फिर वह उसकी बडी बहिन मीना के पास पीलीभीत बरेली चली गई थी और वहां पर वह उसकी बहिन के पास डेढ–दो महिनें रूकी थी, जब वह उसकी बहिन के पास रूकी थी तब अमन जो कि उसकी बहिन की ननद का लड़का है वहां पर घूमने के लिए आया हुआ था और फिर उनकी बातचीत हुई थी और उसी दौरान उसने उसके पति के बारे में और उसे छोड़कर आने के बारे में बताया और फिर उनकी बातचीत आगे बढ़ी और फिर वह एक–डेढ महिने बाद जयपुर आ गई थी और जयपुर आने के बाद उसकी और अमन की फोन पर बातचीत होने लग गई थी। अमन फोन पर उसे कहता था कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करेगा, फिर उसका और अमन का घूमना–फिरना हुआ। वह जब तक अमन से मिलती थी तब तक उसका उसके पति से तलाक नहीं हुआ था जिस पर अमन कहता था कि तुम टेंशन मत लो वह सब देख लेगा फिर वह अमन के घर पर गई थी तब वहां पर उनके पहली बार संबंध बने थे। वह अमन के घर पर वर्ष 2018 में गई थी। अमन ने उसे रात को अपने घर पर मिलने के लिए बाहर बुलाया था और फिर वह उससे मिलने गई तब अमन उसके पास आया और उसने उसे शादी का आश्वासन देकर उसके साथ संबंध बनाये, फिर वह जयपुर आ गई और फिर थोड़े दिन बाद उनकी फोन पर बात कन्टिन्यू होने लगी और फिर एक साल वर्ष 2019 में वह अमन के साथ नैनिताल घूमने गई थी। नैनिताल में अमन ने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी किन्तु संबंध नहीं बने, फिर वह वापिस जयपुर आ गई, फिर नैनिताल से आने के बाद करीब 7–8 महिनें बाद अमन ने उसकी फोटो और वीडियो को उसके पति को भेज दिया और फिर लड़ाई–झगड़े हुए और फिर वह इस दौरान उसके घर पर बरेली गई थी, फिर उसके घर पर फोटो और वीडियो के बारे में बात हुई

थी, फिर वह वहां पर अमन के साथ बाहर होटल पर गई थी और वहां पर उनकी बात हुई और उसने उसे शादी के लिए आश्वासन दिया, फिर वह और अमन जयपुर के आमेर होटल में मिले थे, अमन उससे कहता था कि वह अपनी फैमिली को शादी के लिए मना लेगा, फिर अमन की मम्मी ने शादी के लिए मना कर दिया, फिर उसके बाद अमन ने उससे शादी के लिए मना कर दिया। अमन की मम्मी ने कहा कि अमन उसका बेटा है और जो यह करेगा वह करेगा और तुम शादीशुदा हो और वे तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर जब अमन का परिवार शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। हाजिर अदालत मुलजिम को देखकर गवाह ने कथन किया कि यहीं अमन खेमलानी है जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ प्रथम बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये।

14. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसकी पहली शादी वर्ष 2015 में हुई थी। यह कहना सही है कि दिनांक 08.04.2021 से पहले उसने अमन के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी और उससे पूर्व अमन या स्वयं के रिश्तेदारों को घटना के बारे में नहीं बताया। वह अमन से शादी करना चाहती थी, अमन भी उससे शादी करना चाहता था। अमन ने शादी करने से मना कर दिया था जब वह उसके परिवार से बात करने गई थी। नैनिताल अपनी मर्जी से गई थी, वहॉ पर वह अभियुक्त के साथ रूकी थी, बाकि लोग घूमने चले जाते थे। वहॉ पर उसकी सहमति से अमन के साथ फोटो खिचवायी थी। बरेली में वह अमन के साथ घूमने गई थी। दोनों एक्टिवा पर घूमने गये थे वहॉ पर शारीरिक संबंध उसकी सहमति से बने थे। नैनीताल, बरेली, जयपुर, किशनगढ में अमन से अपनी सहमति से मिली थी। यह कहना सही है कि उसने अमन को स्टाम्प पर लिखकर दिया था कि वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी–1 की इबारत सही लिखी हुई है। प्रदर्श डी–2 पर ए से बी हस्ताक्षर उसने पढकर किये थे। प्रदर्श डी–3 लगायत प्रदर्श डी–15 फोटोग्राफ उसकी व अभियुक्त की है जो उसने सहमति से खिचवायी थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अमन ने शादी से मना कर दिया था, उसके परिवार वालों से वह बात करने गई तो अमन के घरवालों ने भी मना कर दिया था। वापिस घर आने पर उन लोगों ने उसे फोन पर धमकी दी, उसके बाद उसने मुकदमा दर्ज

करवाया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–1 में उसने 2018 में अमन द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की बात नहीं लिखवाई थी। आमेर में संबंध कब बने थे, तारीख, महीना, याद नहीं है। यह कहना सही है कि उस समय वह बिना तलाक के अमन से शादी करना चाहती थी।

15. पीड–4 नरेन्द्र देवजानी ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि पीड़िता उसकी पत्नी की बड़ी बहिन है। पीड़िता ने उसे बताया था कि अमन खेमलानी ने उसे शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। पीड़िता ने एक लेडीज अण्डरवीयर पुलिस को दी थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल आर. जी. पैलेस होटल का नक्शा–मौका बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–4 है।

16. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि वर्ष 2021 में अप्रेल माह में वह, जिया, रिया, पप्पी दीदी, उनके बच्चे घुमने गये थे, अमन भी उनके साथ गया था। अप्रेल 2021 में पीडिता ने उसे नहीं बताया कि अमन ने उसके साथ गलत काम किया है। अजमेर में अमन व पीडिता उनसे अलग रूके थे, कहाॅ रूके थे पता नहीं। रिया ने बस स्टैण्ड पर आकर यह नहीं बताया कि अमन ने उसके साथ गलत काम किया है।

17. गवाह पीड–5 पीडिता की बडी बहिन रेखा ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वे छः बहिनें एवं 3 भाई है। पीड़िता उसकी छोटी बहिन है जिसकी शादी कमलेश के साथ 7–8 साल पहले हुई थी। पीड़िता के एक 7 साल की बेटी है, फिर पीडिता उसकी छोटी बहिन मीना जो कि बरेली में रहती है उसके पास पहली बार घूमने गई थी। अमन उसकी छोटी बहिन की ननद का बेटा है, फिर अमन की बहिन, अमन की बहिन का बॉयफ्रेड, अमन तथा पीड़िता नैनीताल घूमने गये थे और फिर पीड़िता और अमन में बातचीत शुरू हो गई, फिर अमन ने पीड़िता को शादी के लिए बोला था और दोनों एक–दूसरे से मिलते–जुलते थे। अमन जयपुर भी आया था। पीड़िता ने उसे बताया था कि अमन ने उसे शादी के लिए बोला है और उनके बीच में शारीरिक संबंध बने है, फिर पीलीभीत बरेली अमन से शादी के लिए बात करने के लिए गये थे। अमन के घर वालों ने भी शादी के लिए मना कर दिया, फिर वापिस जयपुर आकर पीड़िता ने अमन के खिलाफ पुलिस थाना

आमेर पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी।

18. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसकी बहिन ने उसे घटना के बारे में किस दिनांक, महीना और वर्ष में बताया था, उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि जब अमन के घर पर गये थे तब हमने अमन के माता–पिता से राजीनामा और शादी की बात की थी। यह कहना सही है कि अमन और पीडिता दोनों सहमति से साथ घूमते थे। पीडिता पहले से शादीशुदा थी। अमन और पीडिता दोनों शादी कर लेते तो यह रिपोर्ट दर्ज नहीं होती।

19. गवाह पीड–6 पीडिता की माता सुशीला ने कथन किया है कि उसके 6 बेटियां एवं 3 बेटे है। उसकी बेटी पीड़िता की शादी कमलेश के साथ हुई थी। कमलेश उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था और शराब पीता था, फिर परेशान होकर पीड़िता उसके पास आ गई थी और उसके पास ही रहकर जॉब करती थी। पीड़िता अपनी बहिन मीना से मिलने के लिए पीलीभीत, बरेली गई थी, वहां पर उसकी बेटी की ननद का बेटा अमन से पीड़िता की मुलाकात हुई थी। अमन ने उसकी बेटी पीडिता को शादी के लिए बोला था और फिर शादी करने से इंकार कर दिया। अमन ने उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया और फिर देश छोड़कर भाग गया, फिर पुलिस में रिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अमन के घर वालों से भी पीड़िता और अमन की शादी के बारे में बात की थी।

20. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि वह मानती है कि इस मामलें में उसकी बेटी की भी गलती थी, अजखुद कहा कि दोनों की गलती थी। जब उसकी बेटी थाने में मुकदमा दर्ज करवानी गई तब वह उससे पूछकर नहीं गई थी अगर उससे पूछकर जाती तो वह रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं देती।

अनुसंधान साक्षीगणः–

21. गवाह पीड–2 डॉ. सुलोचना ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.2021 को थाना आमेर में महिला कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात थी, उस दिन परिवादिया द्वारा एक टाईपशुदा रिपोर्ट थाने पर पेश की थी, जिस पर आईओ के निर्देश से उसने कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन किया था, रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है, जिस पर कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन होकर, उसके हस्ताक्षर है। आईओ के निर्देशन में परिवादिया के बयान धारा 161 सीआरपीसी उसके द्वारा

कम्प्यूटर पर उसके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 09.04.2021 को आईओ से पीड़िता द्वारा वक्त घटना पहनी हुई अण्डरवीयर पेश की जिसे जरिये प्रदर्श पी–3 जब्त की गई, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

22. गवाह पी.ड. 7 दुर्गाप्रसाद ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.05.2021 को पुलिस थाना आमेर पर कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था, उस दिन मुकदमा नम्बर 216/2021, अन्तर्गत अपराध धारा 376, 506 आईपीसी में आईओ ने मालखाना से एक सील्डशुदा पैकेट व एक जार मय अग्रेषण पत्र के एफएसएल में जमा करवाने हेतु उसे सुपुर्द किये थे। उसने उक्त एक सील्डशुदा पैकेट व जार को मय अग्रेषण पत्र एफएसएल में जमा करवाकर एफएसएल प्राप्ति रसीद को मालखाना एचएम को सुपुर्द कर दिया था। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी–08 है।

23. गवाह पीड–9 अनुसंधान अधिकारी शिवनारायण ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.2021 को पुलिस थाना आमेर पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था, उस दिन पीडिता ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीर रिपोर्ट टाईपशुदा पेश की, जिस पर महिला कांस्टेबल सुलोचना के द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर उसके समक्ष पेश की, जिस पर उसके द्वारा नोट अंकित कर धारा 376, 506 भा.द.सं. के वकू आना पाये जाने पर मुकदमा संख्या 216/21, अन्तर्गत धारा 376, 506 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 है जिस पर कार्यवाही पुलिस का अंकन तथा महिला कांस्टेबल के हस्ताक्षर है एवं परिवादिया तथा उसके द्वारा अंकित किया गया नोट व उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–02 है जिस पर परिवादिया के हस्ताक्षर है तथा उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान पीडिता के द्वारा वक्त घटना पहनी हुई अपनी एक अंडरवियर उसके समक्ष पेश की थी जिसे प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–03 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमुना सील अंकित है। अनुसंधान के दौरान पीडिता की निशादेही से घटनास्थल होटल आर जी पैलेस का नक्शा मौका कसीद किया गया जो कि प्रदर्श पी–04 है जिस पर परिवादिया तथा गवाहान व उसके हस्ताक्षर है तथा पुश्त पर हालात मौका अंकित है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान पीडिता का बलात्कार संबंधी मेडिकल परीक्षण अस्पताल में करवाया

जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि प्रदर्श पी–05 है। पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में महिला कांस्टेबल सुलोचना से उसके निर्देशन में लेखबद्ध करवाये जाकर बयानों की विडियोग्राफी महिला कांस्टेबल द्वारा की जाकर एक सी.डी. में डाला जाकर उसके समक्ष पेश किया। बयानों की सी.डी. आर्टिकल 01 है।

24. पीडिता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाये गये थे जो कि प्रदर्श पी–06 है। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान गवाहान सुशीला और रेखा के बयानात अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पीडिता के अनुसंधान के दौरान मेडिकल परीक्षण के दौरान लिये गये प्रादर्श जमा एफएसएल करवाया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई जो कि प्रदर्श पी 08 है। अनुसंधान के दौरान पीडिता और आरोपी अमन खेमलानी के मध्य हुई फोन पर हुई वार्ता के संबंध में मोबाईल नम्बरों की सीडीआर मय 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–09 है जिस पर शामिल पत्रावली का नोट तथा उसके हस्ताक्षर है। कैफ फार्म प्रदर्श पी–10 है। सीडीआर प्रदर्श पी–11 है। पीडिता के मोबाईल नम्बर का कैफ फार्म प्रदर्श पी–12 है तथा सीडीआर प्रदर्श पी–13 है। प्रकरण में आरोपी की तलाश की गई किन्तु आरोपी के फरार होने पर व विदेश भाग जाने की संभावना पर पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर के मार्फत सहायक निदेशक, (एस.आई.सी.) इन्टेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया गया, इस बाबत् डीसीपी नोर्थ के द्वारा पत्र जारी किया गया जिसकी एक प्रति थानाधिकारी को प्राप्त हुई थी जो कि प्रदर्श पी–17 है जिस पर शामिल पत्रावली का नोट तथा उसके हस्ताक्षर है जो कि कुल 05 पृष्ठों में है।

25. मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि को शामिल पत्रावली किया गया जो कि प्रदर्श पी–18 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम अमन खेमलानी के खिलाफ अपराध धारा 506, 376(2)(एन) आईपीसी का साबित पाये जाने पर मुलजिम की तलाश की गई किन्तु मुलजिम के नहीं मिलने पर धारा 37 पुलिस एक्ट का वांरट न्यायालय से जारी करवाया गया व मुलजिम पुनः तलाश की गई। मुलजिम के नहीं मिलने पर मफरूरी शहादत करवाई जाकर

मुलजिम को फरार घोषित करवाया गया। तत्पश्चात सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम अमन खेमलानी के विरूद्ध धारा 506, 376(2)(एन) आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट नम्बर 426/21 दिनांकित 27.12.2021 उपरोक्त धाराओं में किता की जाकर चार्जशीट अन्तर्गत धारा 299 सीआरपीसी में न्यायालय में पेश की गई चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर है।

26. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि पीडिता का अपने पति से तलाक नहीं हुआ है। यह कहना सही है कि अनुसंधान पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार आरोपी की आयु मार्च 2018 में 15 वर्ष 4 माह होती है जो कि उस समय नाबालिग था। यह कहना सही है कि जब पीडिता नैनीताल घूमने के लिए गई थी तब जनवरी 2019 में आरोपी की उम्र 16 वर्ष थी।

27. गवाह पीड–10 महेन्द्र सिंह ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 02.05.2023 को वह पुलिस थाना आमेर में एचसी के पद पर तैनात था, उस दिन अनुसंधान अधिकारी नन्दलाल, सीआई ने मुकदमा नंबर 216/2021 में मुलजिम अमन खेमलानी को उसके और मोहन लाल, कानि. 10150 के समक्ष थाना हाजा पर गिरफ्तार किया था, मुलजिम की जामा तलाशी मोहन लाल, कानि. के द्वारा लिवायी गई थी, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–19 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसकी माता के मोबाईल नंबर पर दी थी।

28. गवाह पीड–12 अशोक कुमार ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 24.5.2023 को पुलिस थाना आमेर में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था, उस दिन प्रकरण 216/21 में मालखाना एचएम द्वारा डाक सील बंद पैकिट वास्ते एफएसएल में जमा कराने हेतु उसे सुपुर्द किया था, जिसे उसके द्वारा एफएसएल में जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की थी, जो मालखाना एचएम को सुपुर्द कर दी थी, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–21 है।

29. गवाह पीड–13 जगदीश नारायण ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 02.05.2023 को पुलिस थाना आमेर में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था, उस दिन प्रकरण संख्या 216/21 के अनुसंधान अधिकारी नन्दलाल ने घटनास्थल होटल आर.जी. पैलेस का तस्दीक नक्शा–मौका उसके

व कानि. सतवीर 6022 के समक्ष बनाया था, नक्शा–मौका प्रदर्श पी–22 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

30. गवाह पीड–13 सत्यवीर ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 02.05.2023 को पुलिस थाना आमेर पर कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था, उस दिन मुकदमा नम्बर 216/2021, अन्तर्गत अपराध धारा 376, 506 भा.द.सं. में आईओ ने घटनास्थल आर.जी. पैलेस का तस्दीक नक्शा–मौका उसके और कांस्टेबल जगदीश नारायण के समक्ष बनाया था जो कि प्रदर्श पी–22 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है ।

31. गवाह पीड–14 सुनील चौहान ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.2021 को पुलिस थाना आमेर पर आई.सी. मालखाना के पद पर नियुक्त था। दिनांक 09.04.2021 को शिवनारायण सी. आई., एसएचओ द्वारा प्रकरण हाजा में सील्डशुदा सफेद कपड़े की थैली मार्का ए व एक सील्डशुदा जार सीएचसी आमेर से आई.सी. मालखाना को पेश किया था जिसे मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 192/21 पर इन्द्राज किया जाकर मालखाने में जमा किया गया। दिनांक 17.05.2021 को इसी प्रकरण में जब्तशुदा व सील्डशुदा माल को मार्का ए व जार को कांस्टेबल दुर्गाप्रसाद द्वारा जमा एफएसएल करवाया गया था। प्रकरण का शेष रहा माल नन्दलाल नेहरा सीआई, एसएचओ द्वारा सील्डशुदा जार को दिनांक 02.05. 2023 को आईसी मालखाना को पेश किया था जिसे मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 228/23 पर दर्ज किया जाकर मालखाने में जमा किया गया। असल मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 192/21 प्रदर्श पी–23 है जिस पर दर्ज माल का विवरण तथा एफएसएल में जमा करवाये जाने का नोट अंकित है। असल मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 228/23 प्रदर्श पी–24 है जिस पर दर्ज माल का विवरण अंकित है। असल मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 192/21 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–18 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। असल मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 228/23 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–24ए है जिस पर दर्ज माल का विवरण तथा एफएसएल में भिजवाये जाने का इन्द्राज है।

32. गवाह पीड–15 नन्दलाल ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 29.04.2023 को पुलिस थाना आमेर पर थानाधिकारी के पद पर

पदस्थापित था, उस दिन बोम्बे एयरपोर्ट से पूर्व में इसी प्रकरण में मफरूर अभियुक्त अमन खेमलानी के अफ्रीका से मुम्बई एयरपोर्ट आने पर एलओसी नोटिस की पालना में मुम्बई एयरपोर्ट द्वारा सूचना प्राप्त होने पर अमन खेमलानी को निरूद्ध किया गया है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अमन खेमलानी को डिटेन कर दिनांक 02.05.2023 को जयपुर थानाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण हाजा में वांछित अभियुक्त अमन खेमलानी को दिनांक 02.05.2023 को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–19 के गिरफ्तार किया गया था जिस पर गवाहान तथा मुलजिम अमन खेमलानी के हस्ताक्षर है एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर आरोपी की फोटो है। मुलजिम की जामा तलाशी कांस्टेबल मोहन लाल नं. 10150 से लिवाई गई तो उसके कब्जे से एक टिकट केन्या ऐयरवे नेरोबी से मुम्बई, एक पासपोर्ट, एक मोबाईल फोन सैमसंग कंपनी का मिले थे। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त अमन खेमलानी का अस्पताल में पुरूषत्व संबंधी मेडिकल परीक्षण चिकित्सक से करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जो कि प्रदर्श पी–20 है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अभियुक्त अमन खेमलानी की निशादेही से घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका बनाया गया था जो कि प्रदर्श पी–22 है जिस पर गवाहान तथा मुलजिम के तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर है एवं पुश्त पर हालात मौका अंकित है जिस पर भी उसके हस्ताक्षर है।

33. अनुसंधान के दौरान अस्पताल से प्राप्त सैम्पलस को मालखाना में जमा करवाया गया था जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–24ए है। उक्त माल को एफएसएल में थाने के विशेष वाहक द्वारा जमा करवाया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई थी जो कि प्रदर्श पी–21 है। उसके द्वारा प्रकरण में अशोक कुमार व सुनील चौहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये थे। अभियुक्त अमन खेमलानी के विरूद्ध जुर्म धारा 376(2)(एन), 506 आईपीसी का अपराध बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त की अभियुक्त के विरूद्ध तितम्बा चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई थी, तितम्बा चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर है।

34. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि घटना घटित होने से संबंधित कोई दस्तावेज उसके द्वारा प्राप्त नहीं किये गये। यह कहना सही है कि उसने

परिवादिया और उसके परिवार के बयान नहीं लिये थे और ना ही पूछताछ की थी। परिवादिया की उम्र बाबत् कोई दस्तावेज उसके समक्ष पेश नहीं किये गये थे। यह कहना सही है कि परिवादिया ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसमें घटना की दिनांक अंकित नहीं है।

औपचारिक साक्षीः—

35. गवाह पी.ड. 8 दीपक बलवदा ने कथन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 09.07.2021 को पुलिस अधीक्षक उत्तर जयपुर के पत्र क्रमांक 12649—50 दिनांकित 06.07.2021 प्रकरण संख्या 216/2021 पुलिस थाना आमेर जयपुर के उत्तर में मोबाईल नम्बर 7300721452 तथा 8107652233 की दिनांक 01.07.2020 से 08.04.2021 तक की सीडीआर, कैफ तथा धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है और कंपनी की सील मोहर अंकित है। 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—09 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर कंपनी की सील मोहर है। मोबाईल नम्बर 7300721452 का कैफ फार्म मय दस्तावेज जो कि प्रदर्श पी—10 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर कंपनी की सील मोहर अंकित है। उक्त मोबाईल नम्बर मनोज कुमार पिता किशन लाल के नाम पर जारी किया गया था। उक्त मोबाईल नम्बर की सीडीआर प्रदर्श पी—11 है जो कि कुल 105 पृष्ठों में है जिसके प्रथम और आखिरी पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर कंपनी की सील मोहर अंकित है। मोबाईल नम्बर 8107652233 का कैफ फार्म जो कि प्रदर्श पी—12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर कंपनी की सील मोहर अंकित है। उक्त मोबाईल नम्बर डिम्पल पिता छत्तर सिंह के नाम पर जारी किया गया था। उक्त मोबाईल नम्बर की सीडीआर प्रदर्श पी—13 है जो कि कुल 65 पृष्ठों में है जिसके प्रथम और आखिरी पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर कंपनी की सील मोहर अंकित है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उपरोक्त मोबाईल नम्बरों को उपरोक्त अवधि में कौन इस्तेमाल करता था तथा क्या सटीक लोकेशन पर इस्तेमाल करता था, यह वह नहीं बता सकता।

चिकित्सकीय साक्षीः—

36. गवाह पी.ड. 3 डॉ. शामिलनी गुप्ता ने कथन किया है कि दिनांक 09.04. 2021 को उसके द्वारा पीडिता का बलात्कार संबंधी मेडिकल परीक्षण किया गया था। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि पीडिता के शरीर एवं प्राईवेट पार्ट पर कोई जोर–जबरदस्ती के अलामात नहीं थे।

37. गवाह पीड–11 डॉ. आशीष सक्सैना ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 2.5.2023 को वह सेटेलाईट चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था, उस दिन उसने पुलिस थाना आमेर के प्रतिवेदन पर अमन खेमलानी का पुरूषुत्व संबंधी मेडिकल मुआयना किया था, दौराने परीक्षण अमन के सैम्पल लेकर सील बंद कर साथ आये पुलिसकर्मी को एफएसएल, जयपुर को जांच हेतु भेजे गये थे। मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 है, जिस पर उसकी सहमति, हस्ताक्षर, जांच रिपोर्ट, लिये गये सैम्पलों का विवरण व उक्त गवाह की राय व हस्ताक्षर है।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क :–

38. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

39. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियुक्त पर पीडिता की स्वतंत्र सहमति एवं इच्छा के बिना उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर कई बार बलात्संग करने एवं पीडिता की अश्लील वीडियो/फोटो वायरल करने की धमकी देने के गम्भीर प्रक1ति के अपराधों के आरोप है, उक्त आरोपों को अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

40. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में पीडिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में गम्भीर तात्विक विरोधाभास है, पीडिता अपने मुख्य परीक्षण एवं दौराने जिरह के दौरान अभियुक्त के साथ सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित करने का कथन करती है, पीडिता अभियुक्त द्वारा दिये गये शादी के आश्वासन के आधार पर अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने का कथन करती है लेकिन स्वयं पीडिता के कथनों के अनुसार पीडिता पूर्व से विवाहित थी एवं उसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ था, ऐसी स्थिति में पीडिता का अपने

पूर्व पति से तलाक लिये बिना अभियुक्त से शादी किया जाना सम्भव नहीं था, पीडिता ने स्वयं वर्ष 2018 में अभियुक्त की आयु 16 वर्ष एवं स्वयं की आयु 23–24 वर्ष होना बताया है इस प्रकार वर्ष 2018 में प्रथम तथाकथित बलात्संग की घटना के समय पीडिता अभियुक्त से लगभग 7–8 साल बडी थी, ऐसी स्थिति में एक 16 वर्षीय युवक द्वारा एक पूर्व से विवाहित स्त्री के साथ विवाह करने के आश्वासन के आधार पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने का तथ्य विश्वसनीय नहीं है। स्वयं पीडिता की माता के अनुसार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण में उसकी बेटी पीडिता की भी गलती रही है, पीडिता ने हस्तगत प्रकरण की एफआईआर दर्ज करवाये जाने के पश्चात् शपथ–पत्र प्रदर्श डी–1 एवं डी–2 निष्पादित करना स्वीकार किया है जिसमें उसके द्वारा गलतफहमी में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाया जाना अंकित किया गया है। पीडिता की बहिन, माता के बयानों से भी पीडिता की साक्ष्य का समर्थन नहीं होता है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

अवधारणीय बिन्दूओं पर न्यायालय का विनिश्चय :-

41. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का परिशीलन किया गया।

42. बलात्संग जैसे अपराध में घटना के चश्मदीद साक्षी का लगभग अभाव होता है एवं न्यायालय को पीडिता के कथनों के आधार पर ही अभियुक्त के आपराधिक दायित्व का निर्धारण करना होता है। ऐसी स्थिति में पीडिता की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है एवं उसका सुक्ष्मता, गम्भीरता के साथ सही–सही विवेचन किया जाना आवश्यक हो जाता है। पीडिता की साक्ष्य के साक्षिक महत्व के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Santosh prasad@Santosh kumar Vs The State of Bihar, 2020(1) CRIMINAL 634 S.C. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया किः–

"Indian penal Code, 1860-Section 376(1) and 450- Criminal Procedure code, 1973-Section 374-Rape-Conviction on the basis of statement of prosecutrix only- Validity-Held-To base conviction only on the statement of prosecutrix under Section 376 of I.P.C., evidence of prosecutrix must be examined as that of an injured witness whose presence at the spot is probable but it can never be presumed that her

statement should, without exception be taken as gospel truth."

"In the case of Krishna Kumar Malik Vs State of Haryana, (2011) 7 SCC 130

it is observed and held by the Court that no doube, it is true that to hold an accused guilty for commission of an offence of rape, the solitary evidence of the prosecutrix is sufficent provided the same inspires confidence and appears to be absolutely trustworthy, unblemished and should be of sterling quality."

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टात में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि बलात्कार का अपराध एक घृणित अपराध है जो कि ना केवल स्त्री के शरीर के विरूद्ध अपराध है बल्कि समाज के प्रति भी अपराध है। अतः ऐसी स्थिति में पीडिता की एकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, अन्य साक्ष्य से पीडिता की साक्ष्य की सम्पुष्टि होना आवश्यक नहीं है लेकिन जहॉ मात्र पीडिता की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना है, तब पीडिता की साक्ष्य निष्पक्ष, विसंगतियों से रहित व सत्यता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए एवं पीडिता की साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास नहीं होने चाहिये।

अर्थात् विधि अनुरूप पीडिता की एकल साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि का विधिसम्मत आधार हो सकता है किन्तु उसके लिए यह भी आवश्यक है कि पीडिता की साक्ष्य अखण्डनीय हो एवं उसमें किसी प्रकार के कोई तात्विक विरोधाभास अथवा महत्वपूर्ण सुधार ना होते हुए उक्त साक्ष्य न्यायालय का विश्वास अर्जित किये जाने योग्य हो।

43. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रकण में दौराने विचारण आई पीडिता की साक्ष्य को देखे तो प्रकरण में पीडिता की साक्ष्य के अनुसार वह पूर्व से कमलेश नामक व्यक्ति से विवाहित थी जिसके द्वारा शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने एवं दहेज की मांग करने के कारण पीडिता दिसम्बर 2015 में अपनी मम्मी के पास और उसके पश्चात् अपनी बडी बहिन मीना के पास पीलीभीत बरेली चली गई, जहॉ पर उसकी बहिन की ननद के लडके अभियुक्त अमन से उसकी बातचीत हुई और फिर उनकी बातचीत आगे बढी। पीडिता ने एक–डेढ महीने बाद जयपुर आ जाना और जयपुर आने के बाद भी अमन से फोन पर बातचीत होना, अमन द्वारा फोन पर उससे प्यार करने और

शादी करने का प्रस्ताव देना तत्पश्चात् उसका अभियुक्त के साथ घूमना–फिरना चालू होना बताया है। स्वयं पीडिता के कथनों के अनुसार पीडिता का अपने पूर्व पति से तलाक नहीं हुआ था। इस प्रकार यह जाहिर होता है कि पीडिता पूर्व से कमलेश नामक व्यक्ति से विवाहित थी और दोनों के मध्य विवाद होने के कारण पीडिता अपने पति से अलग रह रही थी लेकिन पीडिता का अपने पति से तलाक नहीं हुआ था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि पीडिता ने दौराने जिरह यद्यपि यह कथन किया है कि ''मेरा एवं मेरे पति का 3–4 दिन पहले ही तलाक हो चुका है'' इस प्रकार पीडिता के जिरह में किये गये कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पीडिता के उक्त बयान दर्ज करवाये जाने से केवल 3–4 दिन पहले ही तलाक हुआ है लेकिन वर्ष 2018 में पीडिता एक बालिग एवं विवाहित स्त्री थी एवं तत्समय पीडिता का अपने पति से तलाक नहीं हुआ था, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीड–9 शिवनारायण ने भी दौराने जिरह पीडिता का अपने पति से तलाक नहीं होने के सुझाव को सही होना बताया है। सामान्य अनुक्रम में एक स्त्री/पुरूष को भी इस तथ्य की जानकारी रहती है कि यदि वह स्त्री/पुरूष पूर्व से विवाहित है तो अपने पूर्व पति/पत्नी से तलाक लिये बिना वह अन्य स्त्री/पुरूष से विवाह नहीं कर सकता/सकती है तब पीडित द्वारा अपने पूर्व पति से तलाक लिये बिना क्यों अभियुक्त से शारीरिक संबंध स्थापित किये गये, इस संबंध में पीडिता की साक्ष्य एकदम मौन है। पीडिता के कथनों से यह भी जाहिर होता है कि केवल अभियुक्त के बुलाने मात्र के आधार पर स्वयं पीडिता अभियुक्त के घर पर गई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये, पीडिता का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता को डरा–धमकाकर अथवा जबरन अपने घर पर बुलाकर जबरन पीडिता की स्वतंत्र सहमति एवं इच्छा के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये गये हो। यह दर्शित करता है कि पीडिता एवं अभियुक्त के परस्पर प्रेम संबंध थे एवं पीडिता की आक्षेपित कृत्य में सहमति रही है।

44. पीडिता प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्ष 2019 में प्रथम बार नैनिताल में अभियुक्त द्वारा उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करने का कथन करती है जबकि अपने सशपथ बयानों में पीडिता वर्ष 2018 में प्रथम बार अमन के घर पर संबंध बनाने की बात

कहती है एवं वर्ष 2019 में नैनिताल घूमने जाने का कथन करती है किन्तु स्पष्ट रूप से यह भी कथन करती है कि नैनिताल में अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी किन्तु नहीं बने। इस प्रकार प्रथम बार अभियुक्त द्वारा संबंध बनाने के क्रम में पीडिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सशपथ बयानों में तात्विक सुधार एवं विरोधाभास प्रकट होता है।

45. प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीडिता वर्ष 2020 में अभियुक्त का जयपुर आना व उसे आमेर स्थित होटल में ले जाना बताती है एवं कथन करती है कि अभियुक्त नाश्ता लेकर आया था, नाश्ता खाने के बाद वह बेहोश हो गई थी उसे होश आया तो उसके शरीर पर एक कपडा भी नहीं था। अमन उसके पास निवस्त्र बैठा था और अमन ने उसके फोटो खीच लिये जबकि सशपथ बयानों में पीडिता कथन करती है कि वह और अमन जयपुर में आमेर होटल में मिले थे जहॉ पर उनकी आपसी सहमति से संबंध बने। पीडिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के अनुसार अभियुक्त द्वारा आमेर होटल में मिलने के बाद उसके फोटो आदि खीचे थे किन्तु पीडिता अपने सशपथ बयानों में कथन करती है कि नैनिताल से आने के कुछ महीनों के बाद अभियुक्त ने उसके फोटो और वीडियो उसके पति को भेज दिये। ऐसे में पुनः पीडिता की साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है। इस प्रकार पीडिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यदि वर्ष 2020 में अभियुक्त द्वारा उसके अश्लील फोटो खीचे गये थे तब पीडिता द्वारा अपने सशपथ बयानों में वर्ष 2019 में नैनिताल से आने के कुछ महीने बाद अभियुक्त द्वारा उसकी वीडियो और फोटो उसके पति को भेज देने का कथन स्वयंमेव ही असत्य हो जाता है तथा पीडिता का प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं सशपथ बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि अभियुक्त ने जयपुर में आमेर स्थित होटल में उसके अश्लील वीडियो/फोटो बनाये हो।

46. पीडिता का आगे अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन रहा है कि उसकी अभियुक्त से फोन पर बातचीत निरन्तर होने ली और वर्ष 2019 में वह अमन के साथ नैनिताल घूमने गई थी, जहॉ अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की किन्तु संबंध नहीं बने। दौराने जिरह पीडिता के कथनों के अनुसार पीडिता वर्ष 2019 में अमन के साथ नैनिताल अपनी मर्जी से घूमने गई थी, जहॉ पर दोनों साथ रूके थे और परिवार के अन्य लोग घूमने चले गये थे। नैनिताल में अमन के साथ पीडिता ने अपनी सहमति से फोटो

खीचवायी थी। इस संबंध में अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रदर्श डी–3 से प्रदर्श डी–16 फोटोग्राफ पेश की गई है और उक्त फोटोग्राफ के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि पीडिता अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ नैनिताल गई थी जहॉ पर दोनों ने सहमति से फोटो खीचवायी थी और दोनों साथ–साथ नैनिताल में रूके थे। पीडिता एवं अभियुक्त के मध्य शारीरिक संबंध यदि स्थापित हुए तो दोनों पक्षों की सहमति से स्थापित हुए थे। पीडिता के मुख्य परीक्षण एवं जिरह में आए कथनों से यह प्रकट होता है कि पीडिता अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ नैनिताल घूमने गयी थी जहॉ पर अभियुक्त एवं पीडिता के घरवाले भी उनके साथ गये थे, अभियुक्त एवं पीडिता के घर वाले बाहर घूमने जाते थे तब अभियुक्त एवं पीडिता एक साथ रहते थे। पीडिता का अपने सम्पूर्ण मुख्य परीक्षण एवं जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि अभियुक्त पीडिता को जबरदस्ती धमकी देकर या डरा–धमकाकर नैनिताल लेकर गये हो या नैनिताल में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किये गये हो बल्कि प्रदर्श डी–3 से प्रदर्श डी–16 फोटोग्राफ के अवलोकन से यह साबित होता है कि अभियुक्त एवं पीडिता द्वारा उक्त फोटोग्राफ अपनी मर्जी से खिचवाये गये थे जिसमें पीडिता हर एक फोटो में प्रसन्नचित्त अवस्था में नजर आ रही है, स्वयं पीडिता ने दौराने जिरह प्रदर्श डी–3 से प्रदर्श डी–16 फोटो अपनी सहमति से खिचवाये जाने का कथन किया है। पीडिता का यह कथन कि नैनिताल में अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की किन्तु संबंध नहीं बने लेकिन पीडिता का ऐसा कथन नहीं रहा है कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ जबरन उसकी सहमति के बिना संबंध बनाने की कोशिश की हो।

47. पीडिता ने अपने मुख्य परीक्षण में नैनिताल से आने के करीब 7–8 महीने बाद अमन द्वारा उसकी फोटो और वीडियो उसके पति को भेज देना और उसके बाद स्वयं का बरेली अभियुक्त के घर पर जाना और अभियुक्त के साथ हो होटल जाकर अपनी सहमति से अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध बनाना बताया है। इस प्रकार पीडिता की साक्ष्य के अनुसार उसके साथ प्रथम बलात्संग की घटना वर्ष 2018 में हुई थी लेकिन वर्ष 2019 में हुई घटना के संबंध में पीडिता द्वारा थाने में अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार की एफआईआर या शिकायत दर्ज करवाई हो, ऐसा कोई कथन पीडिता का

नहीं रहा है और पत्रावली पर भी वर्ष 2018 में अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है तथा स्वयं पीडिता के कथनों के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसकी फोटो एवं वीडियो उसके पति को भेजे गये थे लेकिन प्रकरण में पीडिता के कोई अश्लील फोटो या वीडियो बरामद हुए हो ऐसा कोई कथन अनुसंधान अधिकारी का नहीं रहा है, ना ही पीडिता द्वारा ऐसे कोई फोटो या वीडियो अनुसंधान अधिकारी को दौराने अनुसंधान उपलब्ध कराये हो, ऐसा कोई कथन भी पीडिता का नहीं रहा है। इसके अलावा पीडिता ने उक्त फोटो उसके पति को भेजना बताया है इसलिये पीडिता का पति इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से पीडिता के पति को ना तो साक्ष्य सूची में रखा गया है और ना ही तत्पश्चात् उसे गवाह के रूप में संयोजित करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर उसे परीक्षित कराया गया है। इसलिए पीडिता का यह कथन कि अभियुक्त ने उसके फोटो और वीडियो उसके पति को भेज दिये, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद कथन प्रतीत नहीं होते हैं। पीडिता ने पुनः अभियुक्त के घर बरेली जाने पर अभियुक्त के साथ होटल में जाना और शारीरिक संबंध अपनी सहमति से स्थापित करने का कथन किया है, दौराने जिरह आए पीडिता के कथनों के अनुसार वह बरेली में अमन के साथ घूमने भी गई थी, दोनों वहॉ एक्टिवा पर घूमे थे, अमन उसे होटल में लेकर गया था जहॉ दोनों एक–दो घण्टे रूके थे और वहॉ पर अभियुक्त के साथ उसके संबंध सहमति से बने थे। इस प्रकार स्वयं पीडिता के मुख्य परीक्षण एवं जिरह में आए कथनों के अनुसार उसके द्वारा बरेली में होटल में अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध अपनी सहमति से बनाये गये थे। अभियुक्त द्वारा पीडिता को डरा–धमकाकर जयपुर से बरेली बुलाकर होटल में ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किये गये हो, ऐसा कोई कथन पीडिता का नहीं रहा है बल्कि स्वयं पीडिता के कथनों के अनुसार बरेली में भी अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध उसकी सहमति से ही बने थे। पीडिता ने अपने मुख्य परीक्षण में जयपुर के आमेर होटल में भी अपनी सहमति से संबंध बनना बताया है।

48. पीडिता ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह कथन किया है कि अमन से उससे शादी करने के लिये मना कर दिया और जब अमन का परिवार शादी

के लिए राजी नहीं हुए तब उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। दौराने जिरह भी पीडिता ने कथन किया है कि वह अमन से शादी करना चाहती थी और अमन भी उससे शादी करना चाहता था लेकिन अमन के परिवार वाले शादी नहीं करवाना चाहते थे। इस प्रकार पीडिता के मुख्य परीक्षण एवं जिरह में आए कथनों एवं उपर किये गये विवेचन से यह जाहिर होता है कि पीडिता एवं अभियुक्त जब एक–दूसरे के परिचय में आए उसके बाद दोनों में नजदीकियॉ बढ गई थी और पीडिता एंवं अभियुक्त के मध्य अभियुक्त के घर पर, नैनिताल में एवं जयपुर स्थित आमेर होटल में जो भी शारीरिक संबंध स्थापित हुए वह पीडिता एवं अभियुक्त दोनों की सहमति से स्थापित हुए थे, दोनों एक–दूसरे के साथ विवाह भी करना चाहते थे लेकिन अभियुक्त के घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था और इसी आवेश में आकर पीडिता द्वारा हस्तगत प्रकरण की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गवाह पीड–5 पीडिता की बडी बहिन रेखा की साक्ष्य के अनुसार भी अभियुक्त द्वारा शादी से इन्कार करने के पश्चात् हस्तगत प्रकरण की एफआईआर दर्ज करवाये जाने का तथ्य प्रकट होता है और यदि अमन और पीडिता दोनों शादी कर लेते तो यह रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। इसके अलावा यहॉ यह भी कहना उचित होगा कि पीडिता द्वारा एफआईआर दिनांक 08.04.2021 को दर्ज करवाई गई है लेकिन उक्त एफआईआर दर्ज करवाये जाने के पश्चात् पीडिता द्वारा 20 जनवरी 2023 को एक शपथ–पत्र प्रदर्श डी–1 निष्पादित किया गया है जिसमें उसने हस्तगत प्रकरण की एफआईआर गलतफहमी में दर्ज करवाना जाना अंकित किया है साथ ही तत्पश्चात् 21 फरवरी 2023 को भी पीडिता द्वारा पुनः एक शपथ–पत्र प्रदर्श डी–2 निष्पादित किया गया है जिसमें उसके द्वारा अमन के अफ्रिका से आने पर परिवार की मौजूदगी में प्रकरण वापिस ले लिये जाने का कथन किया गया है, पीडिता ने दौराने जिरह उक्त प्रदर्श डी–1 एवं डी–2 पर अपने हस्ताक्षर होना और उसमें सही लिखा होना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रदर्श डी–1 एवं प्रदर्श डी–2 में उल्लेखित तथ्यों से भी पीडिता द्वारा हस्तगत प्रकरण की एफआईआर गलतफहमी में आकर दर्ज करवाये जाने का तथ्य प्रकट होता है।

49. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण की एफआईआर दर्ज करवाये जाने का कारण अभियुक्त द्वारा बलात्संग की घटना कारित करना ना होकर

अभियुक्त एवं उसके घरवालों से शादी से इन्कार करने का जाहिर होता है लेकिन पूर्व विवेचन के अनुसार स्वयं पीडिता पूर्व से विवाहित थी एवं उसका अपने पूर्व पति से तलाक भी नहीं हुआ था, ऐसी स्थिति में भी अभियुक्त एवं पीडिता का विधिवतः विवाह होना सम्भव ही नहीं था।

50. पीडिता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ प्रथम बलात्संग की घटना वर्ष 2018 में कारित करना बताया है तथा प्रकरण की एफआईआर दिनांक 08.04.2021 को दर्ज करवाई गई है, पीडिता द्वारा सर्वप्रथम अभियुक्त द्वारा बलात्संग की घटना के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई गई और वह लगातार उसके पश्चात् भी अभियुक्त के लगातार सम्पर्क में क्यों रही और इस दौरान पीडिता का अभियुक्त के साथ नैनिताल घूमने जाना एवं जयपुर स्थित आमेर होटल में अभियुक्त के साथ अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना, पीडिता के एक सहमत पक्षकार होने के तथ्य को जाहिर करता है।

51. पीडिता के जिरह में आए कथनों से यह भी जाहिर होता है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त पीडिता से 7–8 साल छोटा एवं नाबालिग था, जिसके द्वारा पीडिता के साथ विवाह करने के आश्वासन के आधार पर एक पढी–लिखी, बालिग, विवाहित स्त्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने का तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

52. गवाह पीड–4 नरेन्द्र जो कि पीडिता की छोटी बहिन का पति है, ने पीडिता के बताये अनुसार अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ शादी करने के आश्वासन के आधार पर शारीकिर संबंध स्थापित करना बताया है लेकिन पूर्व विवेचन के अनुसार स्वयं पीडिता की साक्ष्य अविश्वसनीय एवं सन्देहास्प्रद पाई गई है तब ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के बयानों पर विश्वास किये जाने का इस न्यायालय के समक्ष कोई कारण विद्यमान नहीं है। गवाह पीड–6 पीडिता की माता सुशीला ने दौराने जिरह सम्पूर्ण प्रकरण में अपनी बेटी की गलती होने के तथ्य को स्वीकार किया है। पूर्व विवेचन के अनुसार प्रकरण में किसी प्रकार की अश्लील फोटो/वीडियो बरामद नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में पीडिता का यह कथन कि अभियुक्त द्वारा उसकी अश्लील फोटो/वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

53. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन–विश्लेषण से पीडिता की साक्ष्य घोर

सन्देहास्प्रद, अविश्वसनीय पायी गयी है, पीडिता के मुख्य परीक्षण एवं जिरह में आए कथनों में गम्भीर विरोधाभास है, पीडिता की माता, बहिन के दौराने जिरह आए कथनों से पीडिता की साक्ष्य का समर्थन नहीं होता है। पीडिता की एफआईआर, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों एवं न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में उपरोक्त विरोधाभासों को देखते हुए पीडिता की साक्ष्य अविश्वसनीय एवं सन्देहास्प्रद प्रतीत होती है एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पीडिता की साक्ष्य यदि विरोधाभासों से रहित होते हुए न्यायालय का विश्वास अर्जित किये जाने योग्य नहीं है तो ऐसी साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि का विधिसम्मत आधार नहीं हो सकती।

निष्कर्ष :–

54. अभियोजन साक्ष्य के उपर किये गये समग्र विवेचन से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सन्देह से परे यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है किः–

(ए) अभियुक्त ने जनवरी 2019 में किसी दिन किसी समय होटल आर. जी.पैलेस, आमेर में पीडिता के साथ विवाह करने का आश्वासन देकर पीडिता की स्वतंत्र सहमति एवं इच्छा के बिना उससे जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्कार किया एवं तत्पश्चात् भी कई बार पीडिता को डरा–धमकाकर पीडिता की स्वतंत्र सहमति व उसकी इच्छा के बिना उससे जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग के अपराध की पुनरावृत्ति की।

(बी) अभियुक्त ने बलात्कार करने के दौरान बनाई गई उसकी आपत्तिजनक वीडियो व फोटो को वायरल करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया।

55. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार अभियुक्त को धारा 376(2)(एन), 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(आशुतोष कुमावत)

::आदेश::

56. अभियुक्त अमन खेमलानी पुत्र श्री मनोज खेमलानी, निवासी–मकान नं. 86, सिन्धु नगर, कटरा चांद खॉ, जगतपुर, पुलिस थाना बारदरी, बरेली, उत्तरप्रदेश को धारा 376(2)(एन), 506 भा.द.सं. के तहत आरोपित अपराधों से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में

नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए पच्चीस हजार रूपये की प्रतिभू सहित समान राशि के जमानत बन्धपत्र निर्णय के पूर्व पेश किए गये, जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में जब्तशुदा पार्चेजात बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील/रिवीजन नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार नष्ट किये जावे।

57. राज्य–सरकार के द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 बनाई गई है, इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत आवश्यक संशोधन किये जाकर 357 क, ख, ग जोडी गई, जिसका सार यह है कि यदि किसी आपराधिक घटना के परिणामस्वरूप पीडित व्यक्ति को कोई शारीरिक या साम्पतिक क्षति कारित हुई है तो उसकी पूर्ति नियमानुसार की जायेगी। हस्तगत प्रकरण में स्वयं पीडिता ने खण्डनीय साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध करवाई है। चूंकि पीडिता की साक्ष्य खण्डनीय होने से उसके विरूद्ध घटना होना नहीं पाया जाता है। अतः धारा 357ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् पीडिता को प्रतिकर दिलाया जाना विधि अनुसार व न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

(आशुतोष कुमावत)

58. निर्णय व आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आशुतोष कुमावत)